

24/2/20.

वकील फरीकेन उपस्थित वकील डिप्टी
ने आपकी पत्रावली को Not press किए
आगे फलाना नही चाहते हैं। केवल पत्रावली
को Not press में इकारिज किया जाता है।
पत्रावली फेंसल शुका झेकर नम्बर
से कम होकर बाद नकलील दारिवल पत्रा
हो।

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

